जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक-06.02.2025

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटरसाइकिल बरामद।

ज्ञात हो कि दिनाँक 05.02.2025 को वादी श्री अनिल कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी मौहल्ला दयानन्दनगर गली 04 थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के द्वारा अपनी मोटर साइकिल स्पलैण्डर प्लस UP19L-3832 को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दी गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चोरी की घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को चोरी की हुई मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.नन्द लाल उर्फ नन्दराम पुत्र रामलाल उर्फ रामदिया निवासी गली नं0 05 मौहल्ला दयानन्द नगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर प्लस रजि0नं0 UP19L-3832।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10.5 ग्राम स्मैक व 1.680 किलोग्राम डोडा चूर्ण(नशीला पदार्थ) बरामदः-

आज दिनांक 06.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध अवैध

10.5 ग्राम स्मैक व 1.680 किलोग्राम डोडा चूर्ण(नशीला पदार्थ) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.हरजोत सिंह पुत्र सदनाम सिंह निवासी मौहल्ला प्रेमनगर, थाना करनाल सदर जनपद करनाल हरियाणा।

2.कुलविन्द्र सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह निवासी मौहल्ला रामनगर थाना करनाल सदर जनपद करनाल हरियाणा।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 10.5 ग्राम स्मैक (अभियुक्त हरजोत सिंह से)

2.अवैध 1.680 किलोग्राम डोडा चूर्ण (अभियुक्त कुलविन्द्र सिंह से)

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 05 अलग-अलग मामलों में 06 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 30,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2000 में अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी अहमदनगर थाना थानाभवन के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 359/2000 धारा 504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 1994 में अभियुक्त सुरेश पुत्र इन्दर निवासी ग्राम पंजीठ थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 167/94 धारा 332/353/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में कुल 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 2013 में अभियुक्त नवीन चौधरी पुत्र हासिम चौधरी निवासी नई बस्ती ईदगाह रोड़ थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 317/13 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.02.2025 को माननीय न्यायालय एडीजी 07 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में 02 वर्ष के कारावास की सजा व को 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

4.- वर्ष 2007 में अभियुक्त इमरान पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 653/07 धारा 3/5/8 गौ हत्या अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.02.2025 को मा0 न्यायालय एसीजेम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी

अवधि की सजा व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर06 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5.-अभियुक्तगण1.युनूस खान पुत्र युसूफ निवासी खाजपुर थाना झिंझाना जनपद शामली 2.असलम पुत्र युनूस निवासी बड़ा खाजपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर परिवाद सं0 1683/18 धारा 4/10 खन्न अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 06.02.2025 को मा0 न्यायालय सीजेएम शामली के द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को उपरोक्त धारा में कुल 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।